तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य उपस्थित : श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक प्रार्थी । **आदेश** दिनांक– 07–08–2025 यह निगरानी न्यायालय सहायक कलेक्टर, खण्डेला द्वारा प्रकरण संख्या 2 / 2006 बउनवानी भींवाराम बनाम रामनाथ वगैरह में पारित आदेश दिनांक 07–01–2006 के विरुद्ध धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस मे कथन किया कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबत विभाजन और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए न्यायालय सहायक कलेक्टर, खण्डेला के समक्ष वाद प्रस्तुत किया, साथ ही धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें विचारण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 07–01–2006 के तहत वादग्रस्त आराजी की मौके पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित कर दिया। अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि अप्रार्थी विवादित भूमि को बिना विभाजन के बेचने और हस्तांतरित करने पर आमादा हैं और अप्रार्थीगण को विवादित भूमि को बेचने, हस्तांतरित करने और हस्तांतरित करने से रोकने के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा की माँग की गई थी, लेकिन इस प्रार्थना पत्र के संबंध में कोई	

	निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–01–2006 से व्यथित होकर, यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जे की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व अभिलेख की यथास्थिति के संबंध में कोई आदेश पारित करने में विफल रही है, जो इस तथ्य के मद्देनजर अत्यंत आवश्यक था कि अप्रार्थी विवादित भूमि को बिना विभाजन के बेचने, स्थानांतरित करने और अन्यत्र स्थानांतरित करने पर आमादा थे। जब तक राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश नहीं दिया जाता, अप्रार्थीगण विवादित भूमि को बेचने के अपने दुर्भावनापूर्ण इरादे में सफल हो जाएँगे। इसके अलावा, विवादित भूमि के कब्जे के साथ–साथ राजस्व अभिलेख की स्थिति भी सामान्यतः स्वाभाविक रूप से पारित हो जाती है। ये दोनों प्रार्थनाएँ एक साथ चलती हैं और यदि इनमें से केवल एक ही दी जाए तो इसका कोई लाभ नहीं है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि वाद के किसी भी पक्षकार को वादग्रस्त भूमि में, चाहे उसे बेचकर, हस्तांतरित करके या अलग करके या राजस्व प्रविष्टियों में परिवर्तन करवाकर, कोई भी परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी परिवर्तन संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 52 के प्रावधानों के अंतर्गत आता है और यदि ऐसा किया जाता है, तो अनावश्यक मुकदमेबाजी और कार्यवाहियों की बहुलता को बढ़ावा मिलेगा। इस मामले में, अधीनस्थ न्यायालय ने जानबूझकर राजस्व अभिलेखों की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी नहीं किया है ताकि अप्रार्थीगण को विवादित भूमि का निपटान करने की अनुमति मिल सके। उक्त सभी तथ्यों के नजरअंदाज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश	

पारित किया गया है उसमें त्रुटि कारित की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। अंत में यह निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लंबित वाद के निर्णय तक विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाए रखने के संशोधन एवं आदेश को स्वीकार करने के आदेश पारित किए जावें।

अभिभाषक प्रार्थी की निगरानी पर एकपक्षीय बहस सुनी एव उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

यह निगरानी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–01–2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में अंकित किया है कि " रिपोर्ट सारेस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्षकारान आगामी आदेश तक विवादित आराजी भूमि ख0न0 704 ग्राम चौमू पुरोहितान तह0 श्रीमाधोपुर की मौके पर यथा स्थिति कायम रखें। पत्रावली दर्ज रजि0 कर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 16–01–06 को पेश हो।" का आदेश पारित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश पूर्णतः अंतरिम आदेश है तथा यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अंतरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी मण्डल के समक्ष पोषणीय नहीं है। चूंकि मूल प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित है अतः अंतरिम आदेश दिनांक 07–01–2006 निर्णित प्रकरण की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। इस प्रकार उक्त आदेश पूर्णतः अंतरिम है और ''निर्णित प्रकरण'' की श्रेणी में नहीं आने से धारा 230

अधिनियम, 1955 के तहत ऐसे आदेश के विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है। किन्तु हम न्यायहित में अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

अतः यह निगरानी निर्णीत की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनकर प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य